08/6/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उक्त फक उ.प.न. वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया डिक्री जारी हो पत्रावली नंबर से कम हो निर्णय सुनाया गया (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2019/00187

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री भरत जय प्रकाश मीना आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 129/2019 GCMS:-2019/00187 **दायरा दिनांक : 13.09.2019**

1. सरोज देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी चक 13 एम.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर। **– वादीया**

बनाम

1. गोपाल पुत्र गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मुखराम पुत्र श्री भीयांराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ **– प्रतिवादीगण**

उपस्थिती :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एडवोकेट, वादीया
2. श्री रामनारायण एडवोकेट, प्रतिवादी नं. 01

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक : 08.06.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बहस सुनी गयी। वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादीया के नाम से चक 1 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 197/27 के किला नं. 6 ता 9, 12 ता 19, 22 = 3. 289 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.365 है0 व चक 1 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 217/22 के किला नं. 19–20 में 0.506 है0 21 में 0.228 है0, 22 में 0.228 है0 = 0.962 है0 अनकमाण्ड भूमि व पत्थरर नं. 217/23 के किला नं. 2 में 0.253 है0, 3/1 में 0.221 है0, 4 ता 6 में 0.759 है0, = 1. 223 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 217/14 के किला नं. 16/2 में 0.044 है0 इस प्रकार कुल 2.239 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.248 है0 भूमि व चक 5 डी.डब्ल्यू.एम के पत्थर नं. 156/42 के किला नं. 21 ता 25 में 0.165 है0, व पत्थर नं. 156/43 के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 6/1 में 0.202 है0, 7 ता 9 में 0.759 है0 इस प्रकार तीनो चको की कुल 9.019 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 1.0021 है0 खातेदारी भूमि व चक 1 बी.एम.एम. के खाता संख्या 73/4 के पत्थर नं. 217/23 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/31 में 1.012 है0 व पत्थर नं. 217/24 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/16 में 2.530 है0 इस प्रकार कुल 6.578 है0 रकबा पूर्व 55 में 1/9 हिस्सा यानि 0.703 है0 रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीया व प्रतिवादी नं. 01 को अपने पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त रकबा मे से अपना समस्त हिस्सा ठेका काश्त पर देती आ रही है। वर्ष 2015 से पश्चात प्रतिवादी नं. 01 ने हिस्सा ठेका राशि व वादीया की हिस्से मे आयी भूमि का कब्जा सौपने से स्पष्ट इंकार हो गये। वादीया के इच्छा के विरूद्ध वर्ष 2015 से आज तक लगातार वादीया, प्रतिवादी नं. 01 से वर्ष 2015 से लेकर आज तक प्रतिबीघा प्रतिवर्ष 20,000/–रू. ठेका राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादी नं. 01 वादीया की भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है व वर्ष 2015 से लेकर आज तक प्रतिभूति राशि 20,000/–रू. ठेका राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। अन्यथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जावे। वादीया ने दिनांक 02.08.2019 को प्रतिवादी नं. 01 से रकबा छोड़ने के लिए कहा तो वो इंकार हो गया तथा वो इस पर गांव के मौजीजान व्यक्तियों की पंचायत रखकर प्रतिवादी नं. 01 को वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा छोड़ने के लिए तो वो स्पष्ट इंकार हो गया। प्रतिवादी नं. 01 प्रभावशाली व राजनैतिक प्रेरित व्यक्ति है। वादीया की भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर फसली फायदा उठा रहा है। इसलिये वादीया का वाद डिक्री करते हुए फसली फायदा उठा रहा है व उसकी ठेका राशि 20,000/–रू. प्रति वर्ष प्रतिमाह के हिसाब से आज तक दिलायी जावे का निवेदन किया।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तलब के उपरान्त दिनांक 25.11.2019 को प्रतिवादी नं. 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ व प्रतिवादी नं. 02 समन से तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी नं. 02 के

क्रमशः पेज 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 14.01.2020 को अमल में लायी गयी व प्रतिवादी नं. 01 द्वारा वकालत व जवाब पेश नही करने पर दिनांक 07.08.2020 को प्रतिवादी नं. 01 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 31.08.2020 को प्रतिवादी नं. 01 द्वारा आदेश 8 नियम 1 सी.पी.सी व 151 सी.पी.सी का जवाबदावा के सार्थ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर वादीया द्वारा कोई आपति पेश नही की गयी। वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार दिनांक 03.03.2022 को निम्न तनकीयात कायम की गयी। (क) आया जैरवाद भूमि वादीया की खातेदारी एंव 1955 की पूर्व की भूमि है जिसका साबित करने का भार वादीया पर था। उक्त तनकी की साक्ष्य हेतु वादीया द्वारा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की गयी। जिससे साबित है कि वादीया जैरवाद भूमि की खातेदार एंव 1955 के पूर्व की हे। (ख) आया वादीया के हिस्से की जैरवाद भूमि पर वादीया के इच्छा के विरूद्ध सन् 2015 से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिसकी प्रतिफल प्रतिभूति राशि 20,000/–रू. प्राप्त करने की अधिकारीणी है अन्यथा रकबा रिसीवरी की अधिकारीणाी है जिसको साबित करने का भार वादीया पर था। वादीया द्वारा शपथपत्र के माध्यम से उक्त तनकी को साबित किया जिस प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपति दर्ज नही की। (ग) आया जैरवाद भूमि पर वादीया की जैरवाद भूमि पर प्रतिवादी नं. 01 अतिक्रमण की हैसियत से काबिज नही है जिसका साबित करने का भार प्रतिवादी नं. 01 पर था। जिसकी तायद में प्रतिवादी नं. 01 द्वारा कोई गवाहो का ब्यान व शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिये यह तनकी प्रतिवादी नं. 01 के खिलाफ व वादीया के पक्ष में साबित होती है। साक्ष्य वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य हेतु शपथपत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये ना ही वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई जिरह नही की गयी। जिरह नही होने व प्रतिवादीगण का साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 16.10.2024 को काफी अवसर देने के उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद किये गय। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27.05.2026 को पेश हुई।

इसके पश्चात वादीया के अभिभाषक की बहस सुनी गयी। जिसमें वादीया के अधिवक्ता ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया एंव प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में चक 1 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 197/27 के किला नं. 6 ता 9, 12 ता 19, 22 = 3.289 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.365 है0 व चक 1 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 217/22 के किला नं. 19–20 में 0.506 है0 21 में 0.228 है0, 22 में 0.228 है0 = 0.962 है0 अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 217/23 के किला नं. 2 में 0.253 है0, 3/1 में 0.221 है0, 4 ता 6 में 0.759 है0, = 1.223 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 217/14 के किला नं. 16/2 में 0.044 है0 इस प्रकार कुल 2.239 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.248 है0 भूमि व चक 5 डी.डब्ल्यू.एम के पत्थर नं. 156/42 के किला नं. 21 ता 25 में 0.165 है0, व पत्थर नं. 156/43 के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 6/1 में 0.202 है0, 7 ता 9 में 0. 759 है0 = 2.226 है0 इस प्रकार 3.492 है0 में से 1/9 हिस्सा यानि 0.338 है0 इस प्रकार तीनो चको की कुल 9.019 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 1.0021 है0 खातेदारी भूमि व चक 1 बी.एम.एम. के खाता संख्या 73/4 के पत्थर नं. 217/23 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/31 में 1.012 है0 व पत्थर नं. 217/24 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/16 में 2.530 है0 इस प्रकार कुल 6.578 है0 रकबा पूर्व 55 में 1/9 हिस्सा यानि 0.703 है0 रकबा इस प्रकार चारों चको की कुल 1.7051 है0 खातेदारी व 1955 पूर्व दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण सन् 2015 से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिनका पुलिस इमदाद बेदखल किया जाकर वादीया कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीणी है क्यों कि प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के खिलाफ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या शपथपत्र ब्यानात प्रस्तुत नही किये गयें जिससे पूर्णतया साबित है कि प्रतिवादी नं. 01 व 02 वादीया के इच्छा के विरूद्ध सन् 2015 से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर फसली फायदा उठा रहे है इसलिये प्रतिवादीगण को बेदखल करना अति आवश्यक है जिससे वादीया के हित सुरक्षित हो सके।

क्रमशः पेज 03 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर गहनता से पठन व मनन किया गया एंव उपरोक्त साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 को वादीया के नाम अंकित भूमि चक 1 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 197/27 के किला नं. 6 ता 9, 12 ता 19, 22 = 3.289 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.365 है0 व चक 1 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 217/22 के किला नं. 19–20 में 0.506 है0 21 में 0.228 है0, 22 में 0.228 है0 = 0.962 है0 अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 217/23 के किला नं. 2 में 0.253 है0, 3/1 में 0.221 है0, 4 ता 6 में 0.759 है0, = 1.223 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 217/14 के किला नं. 16/2 में 0.044 है0 इस प्रकार कुल 2.239 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.248 है0 भूमि व चक 5 डी.डब्ल्यू.एम के पत्थर नं. 156/42 के किला नं. 21 ता 25 में 0.165 है0, व पत्थर नं. 156/43 के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 6/1 में 0.202 है0, 7 ता 9 में 0.759 है0 = 2.226 है0 इस प्रकार 3.492 है0 में से 1/9 हिस्सा यानि 0.338 है0 इस प्रकार तीनो चको की कुल 9.019 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 1.0021 है0 खातेदारी भूमि व चक 1 बी.एम.एम. के खाता संख्या 73/4 के पत्थर नं. 217/23 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/31 में 1.012 है0 व पत्थर नं. 217/24 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/16 में 2.530 है0 इस प्रकार कुल 6.578 है0 रकबा पूर्व 55 में 1/9 हिस्सा यानि 0.703 है0 रकबा इस प्रकार चारों चको की कुल 1.7051 है0 खातेदारी व 1955 पूर्व पर अतिक्रमी घोषित किया जाना व जरिये पुलिस इमदाद कब्जा वादीया को प्रतिवादी नं. 01 व 02 को जरिये पुलिस इमदाद से दिलवाया जाना उचित समझते है।

अतः विवेचन अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया के नाम अंकित भूमि चक 1 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 197/27 के किला नं. 6 ता 9, 12 ता 19, 22 = 3.289 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.365 है0 व चक 1 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 217/22 के किला नं. 19–20 में 0.506 है0 21 में 0.228 है0, 22 में 0.228 है0 = 0.962 है0 अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 217/23 के किला नं. 2 में 0.253 है0, 3/1 में 0.221 है0, 4 ता 6 में 0.759 है0, = 1.223 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 217/14 के किला नं. 16/2 में 0.044 है0 इस प्रकार कुल 2.239 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.248 है0 भूमि व चक 5 डी.डब्ल्यू.एम के पत्थर नं. 156/42 के किला नं. 21 ता 25 में 0.165 है0, व पत्थर नं. 156/43 के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 6/1 में 0.202 है0, 7 ता 9 में 0.759 है0 = 2.226 है0 इस प्रकार 3.492 है0 में से 1/9 हिस्सा यानि 0.338 है0 इस प्रकार तीनो चको की कुल 9.019 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 1.0021 है0 खातेदारी भूमि व चक 1 बी.एम.एम. के खाता संख्या 73/4 के पत्थर नं. 217/23 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/31 में 1.012 है0 व पत्थर नं. 217/24 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/16 में 2.530 है0 इस प्रकार कुल 6.578 है0 रकबा पूर्व 55 में 1/9 हिस्सा यानि 0.703 है0 रकबा इस प्रकार चारों चको की कुल 1.7051 है0 खातेदारी व 1955 पूर्व की भूमि पर प्रतिवादी नं. 01 व 02 को अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी नं. 01 व 02 से कब्जा जरिये पुलिस सहायता हटाया जावे व कब्जा भूमि का वादीया को दिलवाया जावे व इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एंव सहायक कलक्टर
सूरतगढ़।

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– श्री भरत जय प्रकाश मीना आई.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. सरोज देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी चक 13 एम.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर। **– वादीया**

बनाम

1. गोपाल पुत्र गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मुखराम पुत्र श्री भीयांराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ **– प्रतिवादीगण**

वाद पत्र धारा 183, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 129 वर्ष 2019 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी **श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार** व प्रतिवादी नं. 01 रामनारायण एडवोकेट के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि वादीया के नाम अंकित भूमि चक 1 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 197/27 के किला नं. 6 ता 9, 12 ता 19, 22 = 3.289 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.365 है0 व चक 1 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 217/22 के किला नं. 19–20 में 0.506 है0 21 में 0.228 है0, 22 में 0.228 है0 = 0.962 है0 अनकमाण्ड भूमि व पत्थर नं. 217/23 के किला नं. 2 में 0.253 है0, 3/1 में 0.221 है0, 4 ता 6 में 0.759 है0, = 1.223 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 217/14 के किला नं. 16/2 में 0.044 है0 इस प्रकार कुल 2.239 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 0.248 है0 भूमि व चक 5 डी.डब्ल्यू.एम के पत्थर नं. 156/42 के किला नं. 21 ता 25 में 0.165 है0, व पत्थर नं. 156/43 के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 6/1 में 0.202 है0, 7 ता 9 में 0.759 है0 = 2.226 है0 इस प्रकार 3.492 है0 में से 1/9 हिस्सा यानि 0.338 है0 इस प्रकार तीनो चको की कुल 9.019 है0 भूमि में से 1/9 हिस्सा यानि 1.0021 है0 खातेदारी भूमि व चक 1 बी.एम.एम. के खाता संख्या 73/4 के पत्थर नं. 217/23 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/31 में 1.012 है0 व पत्थर नं. 217/24 में 1.518 है0 व पत्थर नं. 217/16 में 2.530 है0 इस प्रकार कुल 6.578 है0 रकबा पूर्व 55 में 1/9 हिस्सा यानि 0.703 है0 रकबा इस प्रकार चारों चको की कुल 1.7051 है0 खातेदारी व 1955 पूर्व की भूमि पर प्रतिवादी नं. 01 व 02 को अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि से प्रतिवादी नं. 01 व 02 से कब्जा जरिये पुलिस सहायता हटाया जावे व कब्जा भूमि का वादीया को दिलवाया जावे।

नोज ------x----- मुबलिग ------x----- बाबत ------x----- खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह ----x----- फस्दों की पालना ------x----- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.06.26 को जारी किया गया।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ — मोहर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।